बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०2–03/2015 79 पटना, दिनांक: 12.06.2020

कार्यालय आदेश

श्री परमानन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, भोरे प्रखंड, गोपालगंज संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, रिविलगंज, सारण के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–597 दिनांक–14.04.2015 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–97 सहपठित ज्ञापांक–580 दिनांक–13.05.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), गोपालगंज को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गोपालगंज को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री परमानन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, भोरे प्रखंड, गोपालगंज पर निम्न आरोप गठित किये गये :–

(i) जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश ज्ञापांक 31/मु०, दिनांक 11.12.2012 द्वारा आपको अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 में धान क्रय करने के लिए क्रय केन्द्र प्रभारी, भोरे प्रखंड के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था।

आपके द्वारा वर्ष 2012–13 में 38008.00 क्विंटल धान किसान एवं पैक्स से क्रय किया गया था, परन्तु उक्त क्रय की गयी धान की मात्रा में से मात्र 36906.36 क्विंटल धान हीं मिल में भेजा गया। आपके द्वारा शेष 1101.64 क्विंटल धान मिल को नहीं भेजा गया। इस प्रकार आपके द्वारा 1101.64 क्विंटल धान गबन कर लिया गया है।

(ii) आपके द्वारा वर्ष 2012–13 में 13095.00 क्विंटल गेहूँ किसान एवं पैक्स से क्रय किया गया था, परन्तु उक्त क्रय की गयी गेहूँ की मात्रा में से मात्र 11608.68 क्विंटल गेहूँ ही भारतीय खाद्य निगम, सीवान को भेजा गया। आपके द्वारा शेष 1486.32 क्विंटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को नहीं भेजा गया। इस प्रकार आपके द्वारा 1486.32 क्विंटल गेहूँ का गबन कर लिया गया है।

(iii) आपके द्वारा वर्ष 2012–13 में 1101.64 क्विंटल धान एवं 1486.32 क्विंटल गेहूँ जिसका मूल्य 47,37,530.00 रू० है को गबन करने के आरोप में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–1558, 1564 दिनांक– 03.12.2014, 161 दिनांक–25.02.2014 एवं 1563 दिनांक–03.12.2014 द्वारा गबन की गयी राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु आपके द्वारा न ही नोटिस का कोई जबाब दिया गया और न ही राशि जमा किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा मो० 47,37,530.00 रू० का धान एवं गेहूँ का गबन कर लिया गया है।

आपके इस कृत्य के लिए भोरे थाना में थाना कांड संख्या– 65/15 दिनांक–09.04.2015 दर्ज किया गया है।

(iv) आपके द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्चधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गयी है।

(v) आपका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), गोपालगंज के पत्रांक–207/ वि०जॉच दिनांक–27.10.2016 द्वारा संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में निष्कर्ष दिया है कि " प्रपत्र 'क' में आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों, आरोपी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोपों से संबंधित मंतव्य /साक्ष्यों की विवेचना से स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री परमानन्द प्रासद, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, भोरे (गोपालगंज) के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप संख्या–02 आंशिक रूप से प्रमाणित होते हैं। अन्य आरोप 01, 03, 04 एवं 05 प्रमाणित नहीं होते हैं ।"

3. संचालन पदधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), गोपालगंज के जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक––1295 दिनांक–21.06.2017, पत्रांक–1718 दिनांक–03.08.2017 एवं पत्रांक–1955 दिनांक–07.09.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से मंतव्य की मॉग की गयी। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–94/स्था० दिनांक–23.01.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया जो निम्नवत है :–

" समीक्षोपरांत पाया गया कि विभागीय कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गोपालगंज को बनाया गया है, जिन्हें आरोप से संबंधित सम्यक जानकारी नहीं थी और न ही आरोप प्रतिवेदित करने वाले विभाग/कार्यालय से साक्ष्य प्राप्त किया गया है। आरोप से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज को है। फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी असहमत हैं।"

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), गोपालगंज के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(2) में किये गये प्रावधान के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्न असहमति का बिन्दु गठित किया गया :–

" धान अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 में भोरे प्रखंड, गोपालगंज में क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में आपके द्वारा 38008.00 क्विंटल धान किसान एवं पैक्स से क्रय किया गया था और मात्र 36906.36 क्विंटल धान ही मिल में भेजा गया । इस प्रकार आपके द्वारा 1101.64 क्विंटल धान का गबन कर लिया गया। इतनी बड़ी मात्रा में धान की कमी कीड़े–मकोड़े के प्रकोप, चूहों द्वारा नष्ट किये जाने एवं सुखवन से नहीं हो सकती है। धान क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते धान की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी थी जिसका आपके द्वारा सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया गया। इसके साथ ही क्रय किये गये गेहूँ का प्रभार लिये जाने के बाद उसमें आई कुल 1486.32 क्विंटल गेहूँ की कमी भी आपके कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। इस प्रकार 1101.64 क्विंटल धान एवं 1486.32 क्विंटल गेहूँ जिसका मूल्य 4737530/–(सैंतालीस लाख सैंतीस हजार पॉच सौ तीस) रूपये

होता है, के गबन के लिए आप पूर्णरूपेण दोषी प्रतीत होते हैं जो आप पर गठित आरोप को प्रमाणित करता है।

उक्त कृत्य पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–1558, 1564 दिनांक–03.12.2014, पत्रांक–161 दिनांक–25.02.2014 एवं पत्रांक–1563 दिनांक–03.12.2014 द्वारा गबन की गयी राशि 4737530.00 रूपये जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु आपके द्वारा न ही नोटिस का कोई जबाब दिया गया और न ही राशि जमा किया गया। आपके इस कृत्य के लिए भोरे थाना में कांड सं०–65/2015 दिनांक–09.04.2015 दर्ज किया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपनी जिम्मेवारी का सम्यक निर्वहन नहीं किया गया। आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि क्रय किये गये धान एव गेहूँ को नष्ट होने से बचाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करते, जो आपके द्वारा नहीं किया गया और 1101.6 क्विंटल धान एवं 1486.32 क्विंटल गेहूँ जिसका कुल मूल्य 4737530.00 (सैंतालीस लाख सैतीस हजार पॉच सौ तीस) रूपये होता है, की सरकारी राशि की क्षति हुई ।"

5. उक्त गठित असहमति के बिन्दु पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –18(3) के तहत श्री परमानन्द प्रसाद से निदेशालय के पत्रांक–1848 दिनांक–27.09.2019 द्वारा अभ्यावेदन की मॉग की गयी। निदेशालय के पत्रांक–2029 दिनांक–30.10.2019 द्वारा स्मारित भी किया गया। इसके आलोक में श्री परमानन्द प्रसाद द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर में प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के पद के सृजन एवं लक्ष्य, बिहार सेवा संहिता, 1952 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 से संबंधित एवं अन्य कई प्रश्न किया गया है एवं स्वयं उसका उत्तर भी बनाकर उनके द्वारा लिखा गया है । साथ ही उल्लेखित है कि वित्तीय वर्ष 12–13 में पूर्व क्रय केन्द्र प्रभारी श्री शंकर लाल गुप्ता, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, भोरे द्वारा 13095.00 क्विंटल गेहूँ का क्रय किया गया था जिसमें से उनके द्वारा मात्र 6498.00 क्विंटल गेहूँ CWC सिवान भेजा गया एवं श्री गुप्ता से अवशेष भंडारित 6597.00 क्विंटल गेहूँ का प्रभार उनके द्वारा इस शर्त्त पर लिया गया कि भविष्य में गेहूँ CWC सिवान भेजे जाने के क्रम में आई क्षति की जिम्मेवारी श्री गुप्ता की होगी तथा उसमें से 5263.00 क्विंटल गेहूँ उनके द्वारा CWC सिवान भेजा गया तथा अवशेष गेहूँ गोदाम में अवशेष रह गया।

धान अधिप्राप्ति वर्ष –2012–13 में उनके द्वारा कुल 38008.00 क्विंटल धान क्रय किया गया था जिसमें से 36906.36 क्विंटल धान राज्य खाद्य निगम ने उठाव किया शेष धान को गोदाम में छोड़ दिया है जो गोदाम में आज भी भंडारित है।

इसके साथ ही श्री प्रसाद ने उल्लेख किया है कि बिहार वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 31, 137 एवं 138 का पालन किसी भी पदाधिकारी ने नहीं किया है। गोदाम में भंडारित धान/गेहूँ के भंडार का किसी भी पदाधिकारी ने भौतिक सत्यापन नहीं किया है जिससे यह विशिष्ट रूप से प्रमाणित है कि धान/गेहूँ की कितनी मात्रा में कमी है जिसकी राशि वसूलनी है। बगैर भौतिक सत्यापन के भंडारित पूरी मात्रा को गबन किया हुआ मानकर कूट रचना की गयी है जो अपराधिकर कृत्य है एवं दंडनीय है ।

श्री परमानन्द प्रसाद द्वारा गठित असहमति के बिन्दु के सभी बिन्दुओं पर अभ्यावेदन नहीं दिया गया है । निदेशालय के पत्रांक–483 दिनांक–09.03.2020 द्वारा श्री प्रसाद से पुनः अभ्यावेदन की मॉग की गयी । उक्त के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा एक आवेदन भेजा गया है जिसमें पूर्व में अभ्यावेदन दे देने का ही

उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्री परमानन्द प्रसाद असहमति के सभी बिन्दुओं पर अभ्यावेदन नहीं देना चाहते हैं और इस मामले को लटकाये रखना चाहते हैं।

श्री परमानन्द प्रसाद के विरूद्ध गठित असहमति के बिन्दु पर प्राप्त उनके अभ्यावेदन के समीक्षा से स्पष्ट है कि इनका अपने कार्यो के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा है एवं इनके इस व्यवहार से सरकार द्वारा दिये गये दायित्व का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं किया गया है। अतः इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

6. उक्त वर्णित असहमति के गठित बिन्दु के प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री परमानन्द प्रसाद पर संचयी प्रभाव के साथ 3 (तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री परमानन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, भोरे प्रखंड, गोपालगंज संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, रिविलगंज, सारण पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ 3 (तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। साथ ही गबन किये गये राशि की बसूली की कार्रवाई जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से संपर्क स्थापित कर नियमानुसार करेंगे।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–03/2015 1062 पटना, दिनांक: 12.06.2020

प्रतिलिपि :–

सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को उनके पत्रांक–597 दिनांक–14.04.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गोपालगंज/सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज प्रखंड, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय मुख्यालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. श्री परमानन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, भोरे प्रखंड, गोपालगंज संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, रिविलगंज, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 12/06